न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19/2013/प्रा.पत्र/2013	19.11.2013	27.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री अवधेश कुमार विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय विक्रेता मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 19 ताज कॉलोनी रोडवेज डिपो के सामने टोंक
2–श्रीमति भंवरी देवी पत्नि स्व. श्री रामदेव विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 19 ताज कॉलोनी रोडवेज डिपो के सामने टोंक
3–श्री प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री बिरधी चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स बिरधी चन्द प्रेमचन्द जैन (बरवास वाले) गली शेर अली खां के पास देवली रोड टोंक
4–श्री सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी नई मण्डी रोड दौसा राज. ..... अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 27.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.04.2013 को समय 03:52 पीएम पर मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड बडा कुंआ टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री अवधेश कुमार विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अवधेश कुमार विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** मूल पैक 14 पैकेट 500–500 ग्राम के रखे हुए थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अवधेश कुमार विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री अवधेश कुमार विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)**, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हेतु क्रय किया जा रहा है, 500 ग्राम के 4 पॉलीथीन मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** 500 ग्राम के 4 पॉलीथीन मूल पैक को 1–1 मूल पैक को प्लास्टिक के साफ व सूखे 4 डिब्बों में अलग–अलग बन्द कर डिब्बों को एयर टाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–508 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–508 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अवधेश कुमार विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय विक्रेता मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड बडा कुंआ टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स बिरधी चन्द प्रेमचन्द जैन (बरवास वाले) गली शेर अली खां के पास देवली रोड टोंक का बिल पेश किया। इस बाबत् मैसर्स बिरधी चन्द प्रेमचन्द जैन (बरवास वाले) गली शेर अली खां के पास देवली रोड टोंक को पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी नई मण्डी रोड दौसा राज. का वारंटी बिल पेश किया। निर्माता व पैंकिंगकर्ता होने बाबत् आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी नई मण्डी रोड दौसा राज.को पत्र प्रेषित किया तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/2019 दिनांक 05.06.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./197/एफएसएसए/2013/198 दिनांक 10.05.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** एफएसएसए की धारा 3(i)(zx) व (3(i)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Substandard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.04.2015 को अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री राजेन्द्र जाट एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Substandard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Substandard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/–(अक्षरे साठ हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ति रूपये 90,000/–(अक्षरे नब्बे हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 4 पर शास्ति रूपये 1,50,000 (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 27.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक